"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2004—आश्विन 30, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—श्री आई. सी. पी. केसरी, भा. प्र. से. (एम. पी. 1988) सचिव, महामहिम राज्यपाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989) विशेष सचिव, लोक निर्माण/जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, सी.आई.डी.सी. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव व आयुक्त जनसंपर्क, आयुक्त उद्योग, प्रबंध संचालक, सी. एस. आई. डी. सी. एवं प्रबंध संचालक, सी. आई. डी. सी. के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

3. श्री शैलेश पाठक, भा.प्र.से. (1990) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, आयुक्त उद्योग एवं प्रबंध संचालक, सी. एस. आई. डी. सी. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, महामहिम राज्यपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2004

क्रमांक बी-1-5/2004/4/एक.—सुश्री ओमेगा युनाईस टोप्पो (आर. आर.-84, रा. प्र. से.-वरिष्ठ प्रवर श्रेणी), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की सेवायें तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर के पद पर पदस्थापना हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी जाती हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2004

क्रमांक एफ-4-7/2004/1/एक.—माननीय श्री ए. एस. वैकटाचलमूर्ति, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 18-8-2004 से 27-8-2004 (10 दिवस) तक का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 28, 29 एवं 30 अगस्त, 2004 के सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमति प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2004

क्रमांक एफ-1-1/2001/1/6.—राज्य शासन द्वारा श्री आलोक झा को संयुक्त सचिव, छ. ग. मानव अधिकार आयोग, रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था, की सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश दिनांक 21-9-2004 के अनुक्रम में विधि और विधायी कार्य विभाग को इनके कार्य विमुक्ति दिनांक से वापस की जाती है.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2004

क्रमांक एफ-1-1/2001/1/6.—राज्य शासन द्वारा श्रीमती अनिता झा, उप-सचिव को छ. ग. मानव अधिकार आयोग, रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था, की सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश दिनांक 21-9-2004 के द्वारा अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, दुर्ग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपे जाने से इन्हें कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2004

क्रमांक 1590/डी-15/220/04-05/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 517/1414/14-1 भोपाल दिनांक 27 जनवरी 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी कवर्धा के अंतर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान सहित समस्त संरचना, आहता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

कबीरधाम जिला की कवर्धा तहसील में तालपुर ग्राम के खसरा क्रमांक 75/1 एवं 75/2 की 8.29 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र.

सीमाएं

1.	उत्तर में	नई पुलिस लाईन.
2.	दक्षिण में	दुकलहिन बाई गोंड़ एवं फागुराम चंद्रवंशी की कृषि भूमि.
3.	पूर्व में	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12 ए.
4.	पश्चिम में	(1) कलीराम व सूंगेरी ध्रुवे (2) दुकलहीन बाई (3) लच्छीराम गोंड की कृषि भूमि.

Raipur, the 20th September 2004

No.1590/D-15/220/2004/14-3.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby declare the following place including all structure, enclosure, open Place of locality in the market area for which Kawardha Market has been established vide this Department Notification No. 517/1414/14-1 dated 27-1-1969 shall be market yard namely :—

PLACE

An area of 8.29 hec. land survey No. 75/1 and 75/2 at village Talpur in Tehsil Kabirdham of Kabirdham district.

BOUNDED BY

1.	On the North by	New Police Line.
2.	On the South by	Agriculture land of Dukalhin Bai Gond and Faguram Chandrawanshi.
3.	On the East by	National Highway No. 12 A.
4.	On the West by	Agriculture land of (1) Kaliram S/o Sungery Dhruve (2) Dukalhin Bai (3) Lachchhiram Gond.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक 1718/डी-15/220/04-05/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-9-2004 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र कवर्धा के निम्नलिखित क्षेत्र को मूलमंडी घोषित करती है :—

क्षेत्र

1. नगरपालिका कवर्धा जिला कबीरधाम की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

2. मंडी प्रांगण से 5 कि.मी. की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—

1. तालपुर 2. मजगाँव 3. समनापुर 4. सगोना 5. मेटियारी 6. सेवाईकछार 7. अमलीडीह 8. रेंगाखारखुर्द 9. जारताल 10. नेवार 11. बरबसपुर 12. सिंधनुपरी 13. गांगचुवा 14. डबराभाठा 15. बीजाझोरी 16. घुमका 17. जमुनिया 18. मरपा 19. घुघरीखुर्द 20. खुंटा 21. घुघरीकला 22. छिरहा 23. मगरदा 24. जुमवानी 25. घोठिया.

Raipur, the 27th September 2004

No.1718/D-15/220/2004/14-3.—In exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby declare that in relation to the market yard as declared under this Departments Notification No. dated 20-9-2004 the following area in the market area of Kawardha shall be the market proper :—

AREA

1. An area within the limits of Nagar Palika, Kawardha of Kabeerdham District.

2. An area comprising of the following village within the radius of 5 Kms. from the market yard namely :—

1. Talpur.2. Majgaon 3. Samanapur 4. Sagona 5. Motiyaree 6. Sewaikachhar 7. Amaleedeeh 8. Rengakharkhurd 9. Jaratal 10. Newaree 11. Barbaspur 12 Singhanupari 13. Gangchuwa 14. Dabarabhath 15. Bijajhori 16. Ghumka 17. Jamuria 18. Marpa 19. Ghughrikhurd 20. Kuta 21. Ghughrikala 22. Chhirha 23. Magarda 24. jumwanee 25. Ghothia.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2004

फा. क्र. 4210/443/21-ब/छ. ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जयप्रकाश साहू, अधिवक्ता, रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि लिए रायपुर जिले के लिए द्वितीय अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2004

फा. क्र. 4211/443/21-ब/छ.ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री योगेन्द्र कुमार ताम्रकार, अधिवक्ता, रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए रायपुर जिले के लिए तृतीय अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2004

फा. क्र. 4212/443/21-ब/छ.ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री प्रहलाद कुमार निषाद, अधिवक्ता, रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए रायपुर जिले के लिए चतुर्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2004

फा. क्र. 4213/443/21-ब/छ. ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संजय कुमार तिवारी, अधिवक्ता, बलौदाबाजार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए रायपुर जिले के तहसील बलौदाबाजार के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक/276/भू-अर्जन/अ.वि.अ./अ/82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	खोपली प. ह. नं. 118/65	0.31	कार्यपालन अभियंता, कोडार परियोजना, संभाग, महासमुंद.	चण्डीडोंगरी जलाशय योजना के शाखा नहर क्र. 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक/279/भू-अर्जन/अ.वि.अ./17-अ/82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	झिटकी प. ह. नं. 112/59	4.56	कार्यपालन अभियंता, कोडार परियोजना, संभाग, महासमुंद.	अपर जोंक परियोजना के माइनर क्र. 5 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 419/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बोड़ासागर, प. ह. नं.10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.174 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	0.101
12/1	0.073
योग	0.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिंघरा वितरक, कुधरी सब डिवाय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 420/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सारसकेला, प. ह. नं.10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.459 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
559	0.040
556	0.085
142/1-2, 143, 144/1	0.121
538/2	0.012
474/2	0.020
286/1	0.056
272/8	0.040
279/3	0.081
565/1	0.004
योग	0.459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-परगी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 421/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सारसकेला, प. ह. नं.10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.524 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
429/6	0.141
429/5	0.101
427/2	0.016
407	0.020
365	0.081
360/6	0.032
98	0.024
86	0.081
90	0.020
85	0.008
योग	0.524

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सेरो सब डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 422/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-झर्रा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.517 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
412/1	0.259
404, 407/1	0.028
453	0.149
414/7	0.081
योग	0.517

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिघरा वितरक से फगुरम सब डिवाय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 424/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कुधरी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
389	0.008
494/1	0.008
455/2, 471/2	0.020
452	0.012
142/3	0.065
योग	0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कुधरी माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 425/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-फगुरम, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.286 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
473/2	0.020
652/2	0.040
368/1	0.053
346/1	0.069
42/2 घ	0.036
72/2	0.008
42/1 ज	0.053
359/1	0.020
469	0.008
476	0.061
802/2 क	0.057
801	0.105
633/1	0.028
631/1	0.473
800/2	0.113
802/2 ग	0.061
803/4	0.061
803/3	0.020
योग	1.286

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 426/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेमुड़पार, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.287 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/3	0.081
8/2	0.061
2/1, 3/1	0.012
34/2	0.073
5/1	0.020
35	0.040
योग	0.287

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बरतुंगा माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 427/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सारसकेला, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.110 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81	0.049
80/3	0.061
योग	0.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सारसकेला माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004.

क्रमांक 428/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुषार, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.211 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
230	0.040
247/2	0.032
243/3	0.008
246/1 क	0.004
246/1 ख	0.004
246/3	0.008
250/1	0.073
245	0.020
248/2	0.022
योग	0.211

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-आमाकोनी माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 429/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बहेराडीह, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.351 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12	0.004
15	0.040
21	0.004
116	0.004
99, 100, 101, 102	0.020
833/3	0.008
844/3, 846/3	0.081

(1)	(2)
848/1, 844/1, 845/1, 846/1	0.190
योग	0.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-आमाकोनी वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 430/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरदुली, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.116 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
617/1	0.004
618/1, 2, 619/1, 2	0.008
621/1	0.004
621/2	0.018
622	0.016
629/4	0.046
629/2	0.008
686/2	0.012
योग	0.116

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बरदुली माइनर 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 431/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरदुली, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.245 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
421/4	0.004
421/1	0.022
423	0.058
430	0.061
424	0.100
योग	0.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गुडरू माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 432/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-कचन्दा, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.339 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1347	0.004
2024	0.008
2022, 2023	0.004
2021	0.004
2106	0.073
2113	0.012
2652/2	0.040
2672/2	0.012
2670, 2668	0.012
2669	0.016
2707	0.024
2721/1	0.057
2720/2	0.073
योग	0.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-7 आर माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 433/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.112 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
252	0.004
255	0.036
282	0.004
284	0.004
295	0.016
318	0.004
285/2	0.004
310/2	0.004
323/1	0.032
321	0.004
योग	0.112

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कचन्दा उप वितरक 7 आर माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 434/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-भनेतरा, प. ह. नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.515 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
94	0.004
95	0.004
227	0.024
157/1, 6	0.004
220	0.008
172/1, 2	0.004
185/1, 2	0.016
223/1	0.042
189/1	0.004
96	0.405
योग	0.515

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भनेतरा ब्रांच माइनर 4 आर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 435/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-खैरझिटी, प. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
283	0.008
289/1	0.020
303/1	0.045
300/3	0.040
301/1	0.008
योग	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बोईरडीह ब्रांच माइनर 3 आर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 436/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-बरदुली, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.164 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80/1	0.036
78, 77	0.032
76	0.004
66	0.004
75/3	0.074
29	0.002
28/1	0.006
28/2	0.006
योग	0.164

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बोईरडीह ब्रांच माइनर 2 एल.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 438/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बोईरडीह, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.086 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
660	0.008
661/1	0.012
620/2	0.010
620/1	0.010
698	0.012
546/1	0.012
711/1	0.016
714/1	0.006
योग	0.086

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बोईरडीह माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 439/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुषार, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.402 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
263	0.068
266	0.020
272/1	0.053
272/2	0.016
272/3	0.016
272/4	0.032

(1)	(2)
286/2	0.012
289	0.117
490/2	0.004
502	0.028
512/4	0.032
276	0.004
योग 12	0.402

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-आमाकोनी ब्रांच माइनर 1 एल.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 440/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवरघटा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.058 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
338, 339	0.008
333/1	0.030
316/2	0.004
315/2	0.004
267/2	0.012
योग	0.058

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भनेतरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 441 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हरेठीकला, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.140 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1281	0.032
1366	0.004
1360/1	0.004
1361	0.002
1509/3	0.020
1507	0.020
1510/2	0.008
1506	0.002
1557/1	0.014
1571, 1572	0.004
1570/3	0.004

	(1)	(2)
	1569/1	0.002
	1583/1	0.002
	1615	0.016
	1619/3	0.006
योग	15	0.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-ब्रांच माइनर 3 एल.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 442/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम; 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नावापारा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.218 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	508/2	0.101
	486	0.117
योग		0.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-नावापारा कला माइनर 2 नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 443/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-टेमर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.148 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2117/2	0.027
	1231/5	0.121
योग		0.148

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-टेमर माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 444 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-टेमर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.654 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
387/3	0.032
468/2	0.024
469/5	0.040
865/2	0.020
867	0.020
829/1	0.024
921/2	0.061
786	0.057
944/2	0.024
948/4	0.097
948/3	0.012
504/2	0.049
468/3	0.012
793/3	0.016
793/10	0.049
825/2	0.020
931/1	0.097
योग	0.654

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सपनाईपाली माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 445/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— .

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-केरीबंधा , प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
22/2	0.085
योग	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मोहन्दी कला वितरक नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अक्टूबर 2004

क्रमांक 446/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-हरदा , प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.158 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
345/4	0.041
220/3	0.016
194/6	0.020
308	0.081
योग	0.158

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-हरदा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2004

क्रमांक 07/04/2003/2610.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 76/छ. ग.-वि. स./2003/9103, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 एवं आदेश संख्या 76/छ. ग.-वि. स./2003 दिनांक 8 सितम्बर, 2004 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

बी. एल. अग्रवाल,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 8 सितम्बर, 2004—17 भाद्रपद, 1926 (शक)

आदेश

सं. 76/छ. ग.-वि. स./2003.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2003 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अंतर्गत दाखिल करने में असफल रहा है;

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम संख्या	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2003.**	**40-रायपुर नगर**	**श्री जुगनू आलम, गाजी नगर मस्जिद के पास बीरगांव, छत्तीसगढ़**	**कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2003.	41-रायपुर ग्रामीण	डॉ. टी. के. राव, रावण पुतला के सामने मेन रोड, राजेन्द्र नगर रायपुर, छत्तीसगढ़.	कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा.
3.	—वही—	—वही—	लला राम वल्द खोरबहरा, ग्राम-टुण्डा, पो. सेजबहार, तहसील व जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
4.	—वही—	—वही—	हरेश कुमार मटलानी, फरिश्ता अस्पताल के पास कटोरातालाव, रायपुर छत्तीसगढ़.	—वही—
5.	—वही—	42-अभनपुर	श्री शेखूराम बंजारे, ग्राम व पो. कुरूं, तहसील अभनपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
6.	—वही—	45-धरसींवा	श्री शिराज अनवर (बाबी सर), सेक्टर-1, शिवानंद नगर, खमतराई डब्ल्यू. आर. एस. कालोनी, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
7.	—वही—	—वही—	श्री निषादराज उमाशंकर विनायक ग्राम व पोस्ट फुडहर (देवपुरी) तह. व जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
8.	—वही—	46-भाटापारा	श्री देबिन बाई नेताम, म. क्र. 33, ग्राम लावर, तह. सिमगा जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
9.	—वही—	—वही—	श्री भगत राम, ग्राम-चकरवाय, पो. दामाखेड़ा तह. सिमगा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
10.	—वही—	—वही—	श्री विदेशी टंडन, ग्राम-सेन्दरी, पो. भाटापारा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2003.	49-कसडोल	श्री दिनेश मिश्रा, ग्राम-गोरधा, पो.-मोहतरा कसडोल, तह. कसडोल जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा.
12.	—वही—	—वही—	श्री अनिल तिवारी, बजरंग चौक, कसडोल, तह.-कसडोल जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
13.	—वही—	—वही—	श्री गौरीशंकर साहू, ग्राम व पोस्ट पुरगांव, व्हाया बिलाईगढ़, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
14.	—वही—	—वही—	श्री नरेश कुमार, ग्राम व पोस्ट नरदहा, तहसील व जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
15.	—वही—	—वही—	श्री नारायण साहू, बजरंग चौक, साहू मोहल्ला टिकरापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
16.	—वही—	—वही—	श्री सूर्यप्रकाश, ग्राम व पोस्ट-पिसीद, तहसील-कसडोल, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
17.	—वही—	51-राजिम	श्री शंभूराम कुंजाम (पेन्टर) ग्राम व पोस्ट अतरमरा, थाना-राजिम तह.-गरियाबंद, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—

आदेश से,

हस्ता./-

(आनन्द कुमार)

निदेशक (प्रशा.) सह-प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated 8th September 2004—17 Bhadrapada, 1926 (Saka)

ORDER

No.76/CG-LA/2003.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the table below at the General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge account of his election expenses within the specified time and/or in the manner required by the Representations of the People Act, 1951 and the rule made thereunder as shown in column (5) of the said table:

And, Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No. (1)	Particular of election (2)	S. No. & Name of Assembly Constituency (3)	Name & Addressed of Contesting candidate (4)	Reason for disqualification. (5)
1.	General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003.	40-Raipur City	Juganu Alam, Ganji Nagar, Near Masjid, Veergaon, Raipur, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	—do—	41-Raipur Rural	Dr. T. K. Rao, Opp. Ravan Putla, Main Road, Rajendra Nagar, Raipur, Chhattisgarh.	—do—
3.	—do—	—do—	Lala ram Vald Khorbahra, Vill. Tunda, Post-Sejbahar, Tahsil and District-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
4.	—do—	—do—	Haresh Kumar Matlani, Near Farishta Hospital, Katora Talab, Raipur, Chhattisgarh.	—do—
5.	—do—	42-Abhanpur	Shekhu Ram Banjare, Vill. & P.O.-Kurru, Tah.-Abhanpur, District-Raipur, Chhattisgarh.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003.	45-Dharsiwa	Shiraj Anwar (Boby Sir), Sec.-1, Shivanand Nagar, Khamtarai,WRS Colony, District-Raipur, Chhattisgarh	Failure to lodge any account of election expenses.
7.	—do—	—do—	Nishdraj Uma Shankar Vinayak, Vill.-Fundhar (Deopuri), Th. & District-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
8.	—do—	46-Bhatapara	Debin Bai Netam, H. No. 33, Vill.-Lawar, Tahsil-Simga, District-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
9.	—do—	—do—	Bhagat Ram, Vill.-Chakarway, P.O.-Damakhera, Tahsil-Simga, District-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
10.	—do—	—do—	Videshi Tandon, Vill.-Sendri, P.O.-Bhatapara, District-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
11.	—do—	49-Kasdol	Dinesh Mishra, Village-Gordha, Post-Mohtara (Kasdol), Tahsil-Kasdol, District-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
12.	—do—	—do—	Anil Tiwari, Bajrang Chowk Kasdol, Tahsil-Kasdol, District-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
13.	—do—	—do—	Gourishankar Sahu, Village & Post Purgaon, Via-Bilaigarh, District-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
14.	—do—	—do—	Naresh Kumar, Village & Post Nardaha, Tahsil and District-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
15.	—do—	—do—	Narayan Sahu, Bajrang Chowk, Sahu Mohalla, Tikrapara, Raipur, Chhattisgarh.	—do—
16.	—do—	—do—	Suryaprakash, Village & Post-Pisid, Tahsil-Kasdol, District-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
17.	—do—	51-Rajim	Shambhu Ram Kunjam (Painter), Village & Post Atarmara, Thana-Rajim, Tahsil-Gariyaband, District-Raipur, Chhattisgarh.	—do—

By Order.

Sd/-
(ANAND KUMAR)
Director (Admn.) Cum-Principal Secretary,
Election Commission of India.